संख्या- 3/पी-908/अड्तीस-9-13-32(पीएमजीएसवाई)/2011टी0सी0

प्रेषक

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 ग्रामीण सड्क विकास अभिकरण
लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक- 04 दिसम्बर , 2013

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड्क योजना के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित करने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-पी-279/38-4-04-32पीएमजीएसवाई/11टी0सी0, दिनांक-10-09-2012 के प्रस्तर-2 में की गयी व्यवस्था, जो निम्न तालिका के कालम-1 में वर्णित है, को कालम-2 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार संशोधित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है:-

कालम-1	कालम-2
शासनादेश दिनांक-10-09-2012 में की गयी व्यवस्था	संशोधित व्यव्स्था
उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि को न्यूनतम रखने के दृष्टिकोण से न्यूनतम निविदादाता के साथ आवश्यकतानुसार निगोशियेशन कर लिये जायं। यदि निगोशियेशन के उपरान्त दरें स्वीकृति आगणन से कम आ जाती है, तो निविदा स्वीकृत कर तत्काल कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय। यदि निगोशियेशन के उपरान्त प्राप्त न्यूनतम दर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आगणन से अधिक किन्तु वर्तमान लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल ऑफ रेट पर पुनरीक्षित आगणन से कम हो जाती है, तब भी राज्य सरकार द्वारा मूल एवं पुनरीक्षित आगणन के अन्तर की धनराशि उपलब्ध कराये जाने की प्रत्याशा निविदा स्वीकृत करके कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय।	उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि को न्यूनतम रखने के दृष्टिकोण से न्यूनतम निविदादाता के साथ अनिवार्यता/अपरिहार्यता स्थापित होने की दशा में ही निगोशियेशन किया जाय। यदि निगोशियेशन के उपरान्त दरें स्वीकृति आगणन से कम आ जाती है, तो निविदा स्वीकृत कर तत्काल कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय। यदि निगोशियेशन के उपरान्त प्राप्त न्यूनतम दर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आगणन से अधिक किन्तु वर्तमान लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल ऑफ रेट पर पुनरीक्षित आगणन से कम हो जाती है, तब भी राज्य सरकार द्वारा मूल एवं पुनरीक्षित आगणन के अन्तर की धनराशि उपलब्ध कराये जाने की प्रत्याशा में निविदा स्वीकृत करके कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

4- संदर्भित शासनादेश दिनांक- 10-09-2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-2-912/दस-2013, दिनांक-04 दिसम्बर, 2013 द्वारा उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे है।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

-2/

unicode GO

संख्या- 3/पी-908 (1) /अड़तीस-9-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/लोक निर्माण / ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव